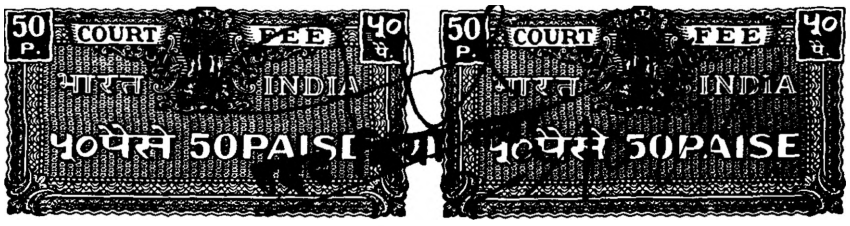

एस०सी०ए०नं०
1970/95

प्रतिलिपि प्रतिज्ञापत्र अभय कुमार सिंह - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा[illegible]कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमडी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेंटू आ० रावेल सिंह टेंटू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

1—00

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्ष:- श्री जे0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे0के0एस0राजपूत, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। तुम अभयकुमारसिंह उर्फ अभयसिंह आत्मज विक्रमसिंह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :-

1- जनवरी 91 से सित0 91 के मध्य किसी समय

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कालोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रात: 3.45 बजे~~ जिला-दुर्ग (म0प्र0) आरोपी या उसके लगभग मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, ~~अभयकुमारसिंह,~~ चंद्रबक्श सिंह, बलदेव सिंह एवं पलटन मल्लाह के साथ आपसी सहमति द्वारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या (दि0 28-9-91 को प्रात: 4.5 बजे हुडको कालोनी दुर्ग में) की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

(हस्ताक्षर) 9.8.94

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

(हस्ताक्षर)
। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दुर्ग, दिनांक:- 25.5.94

अभियुक्त को उक्त आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध नहीं किया है।

(हस्ताक्षर)
। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांक:- 25.5.94

अपराध किया है।
(हस्ताक्षर)
9.8.94

COURT FEE भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE
COURT FEE INDIA 50 पैसे 50 PAISE

सत्यप्रतिलिपि
23/5/95
कार्या. जिला एवं ...
दुर्ग (म.प्र.)